Seema Kumari
Asst. Prof. (Pol.Sc.), RMC, Sasaram
Topic - American Political System
Date - 03.05.2021

अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था (समिति प्रणाली)

सदन नियमावली समिति (House Rules Committee)

यह जो की समिति यह निर्णय करती है कि किसी विधेयक को सदन में किस रूप में रखा जाय जाए? यह वाद विवाद के समय को भी निर्धारित करती है।

कांग्रेस की विभिन्न समितियां विधि निर्माण के कार्य में सहायता देने के लिए बनाई जाती है। ये समितियां समय समय पर प्रशासनिक विभागों से तरह तरह की विवरण या जानकारी मांगती रहती है। इस मामले में ऐसा अनुशासन विकसित किया गया है प्रशासनिक विभाग कांग्रेस समितियों की पूछताछ को महत्व देती है और अपेक्षित जानकारी या विवरण देने को हमेशा तैयार रहते है। इससे कांग्रेस समितियों को प्रशासनिक विभागों के काम काज के निरीक्षण का अवसर मिल जाता है। संसदीय प्रणाली की तरह अमेरिका में संगठित विपक्ष काम नहीं करता है। प्रशासनिक विभागों पर कांग्रेस समितियों का निरीक्षण इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर देता है।

संघीय कार्यपालिका (Federal executive)

अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति राज्य एवं शासन का अध्यक्ष है। उसके नीचे उप-राष्ट्रपति है। वह अपनी कैबिनेट का निर्माण करता है जो कांग्रेस से पृथक है तथा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। इन सबको राजनीतिक कार्यपालिका कहते है।

Scanned with CamScanner

अमेरिका में स्थायी या अराजनीतिक कार्यपालिका भी है जिसे नौकरशाही (Bureaucracy) की संज्ञा दी जाती है।

राष्ट्रपति

अमेरीकी संवैधानिक व्यवस्था में सर्वाधिक शक्तिशाली व सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति का है। अमरीकी शासन प्रणाली के अंतर्गत सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित रहती है। राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखने के लिए शक्तिशाली होने व मनमानी करने से नियंत्रित करने के लिए अमेरिका में शक्ति पार्थक्य (Separation of powers), और अवरोध व संतुलन (Check and Balances) की विस्तृत व्यवस्था की गई है।

कार्यकाल, उत्तराधिकार तथा निष्कासन

4 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। किसी व्यक्ति को दो बार से अधिक नहीं चुना जाए।

राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में उप राष्ट्रपति उसका पदभार संभालेगा। उप राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं होने उस व्यक्ति को जिसकी नियुक्ति कांग्रेस के दोनों सदनों में होनी चाहिए।

यदि राष्ट्रपति पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार या दुर्व्यवहार का कोई गंभीर आरोप लगता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। HA की एक कमिटि आरोप पत्र तैयार करती है, यह मामला सीनेट के समक्ष रखी जाती है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का प्रधान जज करेगा। राष्ट्रपति को अपना बचाव का अधिकार होगा। राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि द्वारा अपना बचाव कर सकता है। सीनेट में चर्चा होती है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है। उसके बाद दंड या निष्कासन की ~~प्रक्रिया~~ होता है।

Scanned with CamScanner